

मुंबई में गंभीर अपराधों की शृंखला में वृद्धि, अपहरण और अपहरण संबंधित अपराधों में 650% तक वृद्धि प्रजा फाउंडेशन की सनसनीखेज रिपोर्ट*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

October 20, 2022

मुंबई में गंभीर अपराधों की शृंखला में वृद्धि, अपहरण और अपहरण संबंधित अपराधों में 650% तक वृद्धि प्रजा फाउंडेशन की सनसनीखेज रिपोर्ट/रिपोर्ट स्पर्श देसाई



मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई] साल 2012 से 2021 तक, बलात्कार और छेड़छाड़ के लिए दर्ज अपराधों में क्रमशः 235% और 172% की वृद्धि हुई है। मुंबई पुलिस कार्मिकों में रिक्तियां साल 2018 में 22% से बढ़कर साल 2022 में 28% हो गई थी। जांच के लिए लंबित द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराध के मामले जिस में हत्या, बलात्कार, शारीरिक हानि आदि साल 2017 में 60% से बढ़कर साल 2021 में 68% हो गए थे। साल 2021 तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 96% मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। साल 2021 के अंत तक 60% पॉक्सो सुनवाई को पूरा होने में 1 से 5 साल लग गए थे। द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों के 6 वर्षों 2016 से 2021 तक में निर्णय/निकासी 2,401 मामले की औसत संख्या के आधार पर साल 2021 तक लंबित सभी मामलों को निर्णय देने में 34 साल लगेंगे।

इसी संदर्भ में " प्रजा फाउंडेशन" ने "मुंबई में पुलिस और कानून व्यवस्था की स्थिति, 2022" पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि साल 2012 से साल 2021 तक दस वर्षों में मुंबई में प्रमुख अपराधों के पंजीकरण में 112% की वृद्धि हुई है। हालांकि अपराध दर्ज करना आसान हो गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं। साल 2012 से 2021 तक अपहरण और अपहरण संबंधित

अपराधों में 650%, बलात्कार में 235% और छेड़छाड़ में 172% की वृद्धि हुई थी। गौरतलब है कि साल 2012 से 2021 तक हत्या, चोरी और चैन स्त्रैचिंग से संबंधित अपराधों में क्रमशः 27%, 16% और 88% की कमी आई है।

एक शहर को विश्व स्तरीय प्रमुख और मजबूत बनाने के लिए, कुछ मुख्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इन सेवाओं में से एक कानून के शासन के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक कुशल कानून व्यवस्था प्रणाली में अपराध के पंजीकरण के लिए एक परेशानी मुक्त तंत्र, एक विस्तृत जांच प्रक्रिया और न्याय के समय पर वितरण के लिए एक त्वरित सुनवाई कार्यवाही शामिल है। ऐसा प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंध न्यासी नेताई मेहता ने कहा था।

प्रणालीगत कारक जैसे पुलिस और कानून व्यवस्था के कार्यकरण, अपराध में वृद्धि को संबोधित करने के साथ-साथ दर्ज अपराधों की विस्तृत जांच करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जांच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर अहम भूमिका निभाते हैं हालांकि साल 2022 में 18% पद खाली हैं। अपराध दर में वृद्धि से पुलिस कर्मियों के सभी खाली पदों को भरने की जरूरत है। यह जांच की अवधि और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों का विश्लेषण करते समय जिसमें हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, दंगे आदि जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दर्ज अपराधों की जांच में लंबित मामलों की संख्या 2017 में 72% से बढ़कर 2021 में 77% हो गई थी। ऐसा प्रजा फाउंडेशन के सी.ई.ओ. मिलिंद म्हस्के ने जानकारी दी थी। न्यायपालिका चरण में मुकदमे की कार्यवाही में अधिक लंबितता है। जो महामारी के दौरान घटा है। साल 2017 से 2021 तक द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों के लंबित मामलों की संख्या 95% से बढ़कर 98% हो गई थी। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2021 तक, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए लंबित मुकदमों की संख्या क्रमशः 97% और 95% थी। इस गति से साल 2021 तक सभी लंबित द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराध मुकदमे में निर्णय लेने में 34 साल लगेंगे। यह पिछले छह (2016 से 2021) वर्षों में फैसलों/निकासी (2,401 मामलों) की औसत संख्या पर आधारित है, यह मानते हुए कि आगे कोई भी मामला सुनवाई के लिए नहीं जाता है। प्रौद्योगिकी और वर्चुअल प्लेटफार्मों का उपयोग मुकदमे की कार्यवाही में बढ़ती लंबितता से निपटने के लिए प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। ऐसा म्हस्के ने कहा था।

साल 2021 में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस / यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) एक्ट के तहत मुंबई में दर्ज कुल 888 बलात्कार के मामलों में से 59% मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। पॉक्सो बलात्कार के 100% मामलों में अपराधी पीड़ितों को जानता था इसलिए स्कूलों में बच्चों और अन्य हितधारकों के बीच इन अपराधों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना जरूरी है। ऐसा प्रजा फाउंडेशन के हेड डायलॉग प्रोग्राम योगेश मिश्रा ने कहा था। अधिनियम के अनुसार सभी पॉक्सो मामलों के फैसले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालतों में की जानी चाहिए और अपराध के संज्ञान के समय से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए हालांकि इन अपराधों में देरी जांच और न्यायपालिका दोनों चरणों में होती है। साल 2021 में, 72% पॉक्सो मामले जांच के लिए लंबित थे और जांच किए गए मामलों में से 42% को पूरा होने में एक साल से अधिक का समय लगा था। जबकि साल 2021 में कुल पॉक्सो ट्रायल कार्यवाही के 60% को निर्णय प्राप्त करने में 1 से 5 साल लग गए थे। उल्लेखनीय है कि साल 2021 में पॉक्सो मामलों में से 97% की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालतों में हुई थी जबकि साल 2020 में यह संख्या महज 72% थी। ऐसा मिश्रा ने जोड़ते हुए कहा था।

मेहता ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि बढ़ती अपराध दर से निपटने के साथ-साथ बढ़ती आबादी के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई के पुलिस बल में स्वीकृत पदों पर फिर से विचार करने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा एक अलग जांच इकाई के उचित कार्यान्वयन से दर्ज मामलों की त्वरित जांच की अनुमति मिलेगी।

बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए एक बहु हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । जबकि पुलिस-नागरिक संबंधों में सुधार के लिए सामुदायिक पुलिसिंग भी लागू किया जाना चाहिए। एक शहर में सुरक्षा आवश्यक सेवा हैं और पुलिस जांच इकाई के प्रभावी अलगाव और दैनिक परीक्षण कार्यवाही करने जैसे सुधारों को लागू करने से मुंबई वास्तव में एक मजबूत वैश्विक शहर बन सकता है। आखिर में उन्होंने कहा था । 【Photo Courtesy Google】

Link: <https://metrocitypost1.blogspot.com/2022/10/650.html>